कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ/रसायन विज्ञान/स्थानान्तरण/2019–20 दिनांकः 29.09.2019 के तहत श्री रमेश कुमार, व्याख्याता, रसायन विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि, हरमाड़ा, जयपुर से राउमावि लोहारिया बड़ा, बांसवाड़ा एवं मंजुला गोदारा, व्याख्याता रसायन विज्ञान का स्थानान्तरण राबाउमावि, रींगस, सीकर से राउमावि, हरमाड़ा, जयपुर किया गया।

उक्त स्थानान्तरण आदेश की पालना में मंजुला गोदारा ने राउमावि, हरमाड़ा, जयपुर में 18.10.2019 को शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण कर लिया एवं श्री रमेश कुमार द्वारा इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3065/2019 रमेश कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3065/2019 माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांकः 25.10.2019 की पालना में इस कार्यालय के आदेश दिनांक 01.11.2019 द्वारा श्री रमेश कुमार को राउमावि, हरमाडा, जयपुर में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की गई।

इस प्रकार राउमावि, हरमाड़ा, जयपुर में दोहरा पदस्थापन हो गया। माननीय अधिकरण के अंतरिम आदेश दिनांक 25.10.2019 की पालना में इस कार्यालय के आदेश दिनांक 22.09.2020 द्वारा श्री रमेश कुमार को राउमावि, हरमाड़ा, जयपुर में यथावत रखते हुए मंजुला गोदारा को राउमावि, भानपुरा कलां, जमवारामगढ़, जयपुर (218649) में व्याख्याता रसायन विज्ञान के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया था। माननीय अधिकरण ने अपने अंतिम पारित आदेश दिनांक 05.11.2020 द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 25.10.2019 को COMFIRM करते हुए विभाग को यह छूट दी कि प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में अपीलार्थी श्री रमेश कुमार के स्थानान्तरण में यह स्थगन प्रभावी नहीं रहेगा।

माननीय अधिकरण के अंतिम आदेश दिनांक 05.11.2020 की पालना में श्री रमेश कुमार को राउमावि, नरसिंघों की ढाणी, सम, जैसलमेर (213512) में व्याख्याता रसायन विज्ञान के रिक्त पद पर कार्यग्रहण हेतु आदेशित किया जाता है। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिक को अविलम्ब शालादर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–4/रजीगृ/रमेश कुमार/को.के/19–20 दिनांकः– 03/02/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ), जयपुर/जोधपुर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
7. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. संबंधित संस्था प्रधान।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।
10. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्पयुटर अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

cbh transfer parivedna